पारंपरिक पंचायत व्यवस्था और आधुनिक पंचायत व्यवस्था में समन्वय करने का प्रयास

डॉ0 सुरेन्द्र ठाकुर

भारत में प्राचीन काल से ही पंचायत व्यवस्था का अस्तित्व किसी न किसी रूप में कायम रहा है। ईसा से बारह सौ वर्ष पूर्व रचित ऋग्वेद में इनका उल्लेख है; बल्कि छः सौ वर्ष पूर्व तक के युग में भी ग्राम सभाओं (परिषद अथवा सभाओं) एवं ग्रामीणों में (गाँव के वरिष्ठ व्यक्तियों) मौजूद होने का वर्णन मिलता है। ये सभी ग्राम निकाय थे जो गाँव से संबंधित समस्त मामले उच्चाधिकारियों के सामने ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते थे। समय बीतने के साथ ही इन निकायों का स्वरूप बदला और ग्रामीण एवं क्षेत्रिय स्तर पर धर्म ने उन्हें कुछ सामाजिक, धार्मिक अधिकार प्रदान किये। ग्रामीण स्तर पर परंपरा के रूप में पारंपरिक तत्वों पर आधारित ग्राम पंचायत की तरह की कुछ अन्य संस्थाएं भी विकसित हुई जिस का आधार जातीय था। जो जाति विशेष के सदस्यों द्वारा उस जाति के सामाजिक आचार विचार और नैतिक संहिता के अन्तर्गत स्वयं विकसित होती थी और जातीय रीति–रिवाज एवं परंपराओं का पालन सुनिश्चित करती थी परन्तु आधुनिक दृष्टिकोण अशिक्षा, भाषा, व्यापार–व्यवसाय वैधानिक नियमों, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण के प्रभाव में ये संस्थाएँ कमजोर होने लगी और सामान्य तौर पर पारंपरिक पंचायत व्यवस्थायें विलुप्त होती चली गयी है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमिक रूप से लुप्त होती चली जा रही है। यहाँ तक पारंपरिक समाजों में उनकी लोकप्रिय संस्थाएँ क्रमिक रूप से महत्व खोती चली गयी है।